



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102026-277201
CG-DL-E-16102026-277201

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5423]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 14, 2026/आश्विन 22, 1948

No. 5423]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2026/ASVINA 22, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5637(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2886 (अ) तारीख 05 जून, 2026 जो भारत के राजपत्र तारीख 08 जून, 2026 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में राजस्थान राज्य में बाड़मेर से गुजरात राज्य में भोगत तक कूड ऑयल स्थानान्तरण के लिए बाड़मेर - भोगत पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत वेदांता लिमिटेड और ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 08 जून, 2026 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1), के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर वेदांता लिमिटेड और ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए वेदांता लिमिटेड और ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला: बाड़मेर				राज्य: राजस्थान		
क्रम सं.	गांव का नाम	तहसील	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
1	उदाराम की ढाणी	बाटाड़ू	595/97	00	08	00
जिला: बालोतरा				राज्य: राजस्थान		
क्रम सं.	गांव का नाम	तहसील	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
1	धांधलावास	गुडामालानी	186/8	00	02	50

[फा. सं. इएक्सपीएल -11032(11)/22/2020-इएक्सपीएल-I-पीएनजी (ई-34023)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2026

S.O. 5637(E).— Whereas by the notification of government of india in ministry of Petroleum and Natural Gas Number S.O. 2886(E) Dated the 05th Oct, 2026, Issued under sub-section (1) of Section 3 of the petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 08th June, 2026 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for evacuation of Crude Oil from Barmer in the State of Rajasthan to Bhogat in the State of Gujarat within Barmer - Bhogat Pipeline Project by Vedanta Limited and Oil & Natural Gas Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 08 June, 2026,

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted his report to the Central Government,

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying this pipeline, has decided to acquire right of user therein,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of this declaration, in Vedanta Limited and Oil & Natural Gas Corporation Limited, free from all encumbrances.

Vedanta Limited and Oil & Natural Gas Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline;

SCHEDULE

District:- Barmer State :- Rajasthan						
Sl. No.	Name of the Village	Tehsil	Khasara No.	Area		
				Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6	7
1	Udaram Ki Dhani	Batadu	595/97	00	08	00
District:- Balotra State :- Rajasthan						
Sl. No.	Name of the Village	Tehsil	Khasara No.	Area		
				Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6	7
1	Dhandhlawas	Gudamalani	186/8	00	02	50

[F. No. Expl-11032(11)/22/2020-EXPL-I-PNG (E-34023)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.